



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-17062026-273548  
CG-AS-E-17062026-273548

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3006]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3006]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगाँव, 6 जून, 2026

का.आ. 3127(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रसरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में प्राधिकृत करती है, ताकि वह उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। यह प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल राज्य में " न्यू जलपाईगुडी - सिलीगुडी दोहरीकरण (7.15 किमी. )" नामक विशेष रेलवे परियोजना के संबंध में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले के लिए, तथा ऐसे विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य हेतु, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

## सारणी

क्र. सं	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), जलपाईगुडी	जलपाईगुडी
2	अतिरिक्त जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण), दार्जिलिंग	दार्जिलिंग

[फा. सं. W/207/CON/NJP/LAND/NJP-SGUJ 1]

संजीव कुमार, मुख्य अभियंता/एनजेपी परियोजनाएं

## MINISTRY OF RAILWAYS

[Northeast Frontier Railway (Construction Organisation)]

## NOTIFICATION

Maligaon, the 6th June, 2026

**S.O. 3127(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “ Doubling of New Jalpaiguri-Siliguri (7.15 Km) ” in the State of West Bengal relating to district mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
1	Additional District Magistrate (LA), Jalpaiguri	Jalpaiguri
2	Additional District Magistrate (LA), Darjeeling	Darjeeling

[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/NJP-SGUJ 1]

SANJEEV KUMAR, Chief Engineer/NJP Projects